न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

निर्णय दिनांक
22.07.2024

दायर दिनांक
09.07.2024

प्रकरण संख्या
429/2024

उनवान

1. प्रेमदेवी पत्नि स्व0 रामसहाय विजयवर्गीय महाजन निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राकेश पिता स्व0 रामसहाय विजयवर्गीय महाजन निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. राधेश्याम पिता स्व0 रामसहाय विजयवर्गीय महाजन निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र समरथलाल महाजन निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. डालचन्द पुत्र भंवर लाल महाजन निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. चारभुजानाथ स्थान देह, जरिये पुजारी, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. भंवर लाल पुत्र चुन्नी लाल सिंघवी महाजन निवासी लग्जरी अपार्टमेंट बारडोली सूरत
5. लाड देवी पत्नि रतन लाल सिंघवी महाजन निवासी आर. के. कॉलोनी भीलवाड़ा
6. शांति लाल पुत्र चुन्नी लाल सिंघवी निवासी बड़ा महुआ तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. मुक्ता पत्नि मनीष कुमार गुजराती निवासी सिंघी कॉलोनी शाहपुरा तहसील व जिला शाहपुरा
8. जेठमल पुत्र पीरूलाल जैन निवासी ईरांस तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. महेश कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र सोमाणी निवासी ब्राह्मणपुरी मौहल्ला बरून्दनी जिला भीलवाड़ा
10. आशा पुत्री शांति लाल सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. दिनेश पुत्र शांति लाल सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. नेहा पुत्री निहाल चन्द सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. निधी पुत्री निहाल चन्द सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. नोरतमल पुत्र मोहन लाल सोदा सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. भोपाल सिंह पुत्र सोहन लाल सोदा सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. मधु पुत्री सोहन लाल सोदा सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. सुशील पुत्र शांति लला सिंघवी निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. हेमलता पुत्री चान्दमल बाफना निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ामहुआ तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तह0 व जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी आर. एल. विजवर्गीय
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुआकलां प0ह0 महुआकलां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 710 की अभिलिखित आराजियात 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 2822/1765 कुल किता 06 कुल रकबा 1.7955 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करांना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी करांना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि महुआकलां प0ह0 महुआकलां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 710 की अभिलिखित आराजियात 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 2822/1765 कुल किता 06 कुल रकबा 1.7955 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी प्रक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा